

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0:-भवन/स्था0-पी0-03-पदस्थापन-01/02 (अंश-2).....256 पटना दिनांक- 1/11/17

कार्यालय आदेश

श्री रवि शंकर चौधरी, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के नियम-110 तथा बिहार कोषागार संहिता के नियम-171 के आलोक में मुख्यालय स्तर पर लेखा संधारण के क्रम में ₹ 5,001/- (पाँच हजार एक रुपये) से ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र तक की राशि के अभिश्रवों को पारित करने एवं क्रयादेश निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. पूर्व में इस संदर्भ में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
3. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक:- 9662 (ग)

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W 01/11/17  
(विनय कुमार)

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक:- 1/11/17

ज्ञापांक:- 9662 (ग)

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W 01/11/17  
सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक:- 1/11/17

ज्ञापांक:- 9662 (ग)

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक, अनुश्रवण/मुख्य वास्तुविद/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W 01/11/17  
सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक:- 1/11/17

W 01/11/17  
सरकार के उप सचिव।  
Nimf